न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 35 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. वेली पत्नी पुनमाराम जाति जाट बनाम निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	1.श्रीमती कलु पत्नी सुराराम जाति जाट 2.राणी पुत्री पुनमाराम जाति जाट 3.मोडाराम पुत्र पुरखाराम 4.राजुराम पुत्र पुरखाराम 5.ओमाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 6.तहसीलदार गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी राजस्व वाद संख्या 410 / 2007 अनवान वादी श्रीमती कलु बनाम श्रीमती वेली वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2013।

उपस्थित

1. वकील श्री हसनखां अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री दीपूसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 24.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी की खसरा संख्या 23, 24, 130 व 283 कुल रकबा 192.02 बीघा बन्दोबस्त पिदमणा के दो पुत्र लाधाराम व पुरखाराम के नाम दर्ज हुई थी। लाधाराम के दो वारिस पुत्री वादीनी कलु एवं पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता, पति पुनमाराम थे तथा पुरखाराम के वारि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा वादीनी का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 1/4 हिस्सा वादीनी का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 1 व 2 का है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसी अनुसार पक्षकारान की ढाणीया, टांके बने हुए। रूपाराम के फौत होने पर भरा गया नामान्तकरण संख्या 442 मौजा राणासर खुर्द में

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उनकी पत्नी श्रीमती वेली एवं पुत्री राणी का नाम दर्ज होने के बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत राणासर खुर्द ने अनाधिकृत रूप से राणी का नाम निरस्त कर और वेली अकेली के नाम नामान्तकरण पारित कर दिया तथा लाधाराम के फौत होने पर उसकी जांयदा पुत्री होने के बावजूद रेस्पोडेंट/वादीनी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई का मौका नहीं दिया गया व किसी न्यायालय का एक स्थान से दुसरे स्थान पर मुख्यालय स्थानांतरण होने पर पक्षकारों को सूचित किया जाना आवश्यक है लेकिन अपीलांट को इस बाबत किसी प्रकार की सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा नियुक्त वकील ने मुख्यालय बदलने पर मुख्यालय गुड़ामालानी पर पैरवी करने से मना किया तथा दिनांक 09.01.2014 को गुड़ामालानी जाकर मालुम किया तब सर्वप्रथम यह ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2013 को एकतरफा निर्णय पारित किया जा चुका है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई का मौका नहीं दिया गया व किसी न्यायालय का एक स्थान से दुसरे स्थान पर मुख्यालय स्थानांतरण होने पर पक्षकारों को सूचित किया जाना आवश्यक है लेकिन अपीलांट को इस बाबत किसी प्रकार की सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा नियुक्त वकील ने मुख्यालय बदलने पर मुख्यालय गुड़ामालानी पर पैरवी करने से मना किया तथा दिनांक 09.01.2014 को गुड़ामालानी जाकर मालुम किया तब सर्वप्रथम यह ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2013 को एकतरफा निर्णय पारित किया जा चुका है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का मुख्यालय गुड़ामालानी स्थानातरित किया गया इस बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में दिनांक 18.04.2013 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क करने पर अधिवक्ता ने बताया कि आपका दावा मुख्यालय गुड़ामालानी चला गया है। तब दिनांक 09.01.2014 को गुड़ामालानी जाकर पता किया तब सर्वप्रथम यह ज्ञात हुआ कि उक्त वाद का निर्णय हो चुका है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट वेली की ओर से उनका अभिभाषक श्री महेन्द्र रामावत ने दिनांक 14.02.2008 को उपस्थित हुए। और तत्पश्चात दिनांक 20.04.2012 को पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 01 (वेली)/अपीलांट के जबाव हेतु दिनांक 20.07.2012 को मुकर्रर हुई। दिनांक 21.02.2012 को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री हसणखां उपस्थित हुए। उसी रोज पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबावदावा देने में असफल रहने के कारण अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 वेली का जबाव बंद कर दिया गया, जो आदेशिका से स्पष्ट है। अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना रिकॉर्ड पर है। तत्पश्चात प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा मामले में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिवादिनी राणी का विवादित आराजी में विरासतन कोई हक हिस्सा निहित नहीं हो सकता। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 सगी बहिने होने से बराबर–बराबर की हकदार है और अपीलाधीन निर्णय में इसी अनुसार हक–हिस्से निर्धारित किये गए है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 410/2007 बअनवान वादी श्रीमती कलु बनाम श्रीमती वेली वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2013 को यथावत रखा जाता है।

24/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner